न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्रीमती समु पुत्री लखमाजी के का0मु0 1 गणेशराम पुत्र शान्तीलाल 2 ईश्वरलाल पुत्र शान्तीलाल 3 राजेश कुमार पुत्र शान्तीलाल जातिगण कोली निवासीगण मण्डार तहसील रेवदर		1 रणछोडराम पुत्र खुमाजी जाति कोली निवासी मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री पी0के0 दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.1.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2012 बअनवान रणछोडराम बनाम कलु वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा मण्डार के खसरा नम्बर 1829, 1830 व 1831 की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1821 में से आवागमन हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु अन्य मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर रास्ते का अनुतोष प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस समु व कलु को जारी किए गए, वे नोटिस सम्यक तामील ही नहीं हुए। क्योंकि कलू का देहान्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवागमन का रास्ता रोका गया है। इस कारण प्रकरण धारा 251ए के तहत कवर ही नहीं होता था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो आरम्भ से ही शून्य प्रभावी हैं। इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय त्रुटीपूर्ण पाया जाता हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 13.08.2012 को दायर करवाया गया था, जिसमें अपीलाण्ट की माता समु एवं उसकी बहिन कलु की विधिवत तामील हुई थी। जिनकी तरफ से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग भी ली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि वक्त तामील कलु जीवित थी। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित समय दिए जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण जवाब का अवसर बन्द किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में मजमें आम में सुनवाई करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को रास्ते की सुविधा से महरूम करने के उद्देश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1832 में से रेस्पोडेन्ट के आवागमन सुचारू करने हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 13.08.2012 को दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 18.09.2012 की तारीख पेशी नियत करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरोही

तलब करने के आदेश दिए गए। जबकि इससे पूर्व ही कलुदेवी, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 संयोजित थी, का देहान्त हो चुका था, जिसकी ताईद रजिस्ट्रार जन्म, मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत मण्डार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2012 से होती हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रकरण प्रस्तुतु हुआ, उस समय अप्रार्थी संख्या 1 फौत होने के कारण निर्विवादित रूप से प्रकरण मृतक के विरूद्ध ही प्रस्तुत होकर निर्णीत हुआ था, जो विधि विरूद्ध हैं। इस प्रकार स्पष्टतया मूल प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। ए0आई0आर0 1932 Sind 220 पेज 1932 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 22 - Applicability - Suit or appeal must be pending. Order 22 applies to joinder of legal reprentatives of a person who is properly on the record and dies pending the suit or appeal as the case may be, but not the case where person is dead long before suit or appeal" इसी प्रकार ए0आई0आर0 1946 Sind 20 पेज 1945 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 1 R 10 O. 22 Rr 4, 9 - defendant dead before filling suit - Court cannot grant application under O. 1 R. 10 or O. 22. Rr. 4 and 9" इसी प्रकार ए0आई0आर0 1964 MYSURE पेज 293 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), S. 151, O. 22 R. 4, O. 6 R. 17 - Suit against dead person - No amendment for substitution of another person will be allowed - Suit is a nullity" इसी प्रकार के सिद्धान्त ए0आई0आर0 1964 पेज 215, ए0आई0आर0 1989 पेज 43, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 189, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 873 में प्रतिपादित किए गए है। उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 फौत हो चुकी थी एवं स्वीकृत रूप से मूल प्रार्थना पत्र मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ था। इसके अतिरिक्त भी स्वयं प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया था कि जैर अपील विवादित आराजी में से पूर्व में रास्ता उपलब्ध था, जो अप्रार्थीगण द्वारा बन्द किया गया था। यह तथ्य संज्ञान में आने पर अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे विधिक दृष्टिकोण से प्रथमतः इस बिन्दु को निर्णीत करते कि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में कवर होता है अथवा धारा 251ए में। इस बिन्दु पर किसी प्रकार के निष्कर्ष अंकित किए बिना प्रकरण में अन्तिम स्थिति पर पहुँचा ही नहीं जा सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु को छुआ तक नहीं हैं। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2012 बअनवान रणछोडराम बनाम कलु वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

वे उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए सुझाए बिन्दुओं का विनिश्चय कर मृतक पक्षकारान् के विधिक वारिशान को पक्षकार संयोजित करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-1-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही